न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– पंकज कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 1/2024

अपीलार्थी :–

महावीर कोठारी पुत्र श्री नारमल जी कोठारी, निवासी ए–275, शास्त्री नगर, जोधपुर जरिये खास मुख्तयार भेराराम पुत्र स्व0 नरसिंहराम जी, जाति नाई, निवासी 403, कमला नेहरू नगर, जोधपुर ।

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–

1. मदनलाल पुत्र श्री चोलाराम जी,
2. जसाराम पुत्र कानाराम
3. ओमाराम पुत्र कानाराम
4. छोटाराम पुत्र कानाराम
5. सोनीदेवी बेवा कानाराम
6. तुलसीदेवी पत्नी श्री करनाराम
7. बाबुराम पुत्र श्री करनाराम
8. लेखाराम पुत्र श्री करनाराम
9. मंगलाराम पुत्र श्री करनाराम
10. बालाराम पुत्र श्री करनाराम
11. मूलीदेवी पुत्री करनाराम
    जातियान जाट, निवासी जाखड़ो की ढाणी, (गोयलो की ढाणी) ग्राम नारवा, तहसील व जिला जोधपुर ।
12. ग्राम पंचायत नारवा, जरिये सरपंच तहसील व जिला जोधपुर ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 83 जो ग्राम पंचायत नारवा

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

तहसील जोधपुर द्वारा दिनांक 05.03.2001 को स्वीकार किया गया ।

राजस्व अपील संख्याः– 2/2024

अपीलार्थी :–

महावीर कोठारी पुत्र श्री नारमल जी कोठारी, निवासी ए–275, शास्त्री नगर, जोधपुर जरिये खास मुख्तयार भेराराम पुत्र स्व0 नरसिंहराम जी, जाति नाई, निवासी 403, कमला नेहरू नगर, जोधपुर ।

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–

1. मदनलाल पुत्र श्री चोलाराम जी,
2. जसाराम पुत्र कानाराम
3. ओमाराम पुत्र कानाराम
4. छोटाराम पुत्र कानाराम
5. सोनीदेवी बेवा कानाराम
6. तुलसीदेवी पत्नी श्री करनाराम
7. बाबुराम पुत्र श्री करनाराम
8. लेखाराम पुत्र श्री करनाराम
9. मंगलाराम पुत्र श्री करनाराम
10. बालाराम पुत्र श्री करनाराम
11. मूलीदेवी पुत्री करनाराम
    जातियान जाट, निवासी जाखड़ो की ढाणी, (गोयलो की ढाणी) ग्राम नारवा, तहसील व जिला जोधपुर ।
12. ग्राम पंचायत नारवा, जरिये सरपंच तहसील व जिला जोधपुर ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 403 जो ग्राम पंचायत नारवा तहसील जोधपुर द्वारा दिनांक 08.11.2021 को स्वीकार किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

–::निर्णय::–

दिनांक:–01/02/24

उपस्थित:– 1. अपीलार्थी की और से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार।

2. रेस्पोडेन्ट बावजुद तामील अनुपस्थित।

उपरोक्त दोनो अपीले नामान्तरकरण संख्या 83 दिनांक 05.03.2001 एवं नामान्तरकरण संख्या 403 दिनांक 08.11.2021 को जो ग्राम पंचायत नारवा द्धारा स्वीकृत किये गये के विरूद्ध पृथक पृथक पेश की गई है । अपील में पक्षकार एक समान होने व अपील की विषय वस्तु एक ही होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय द्धारा एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलीयो में संलग्न की जावे।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि गांव जाखड़ो की ढाणी, तहसील जोधपुर में कृषि भूमि खसरा नं0 436 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा स्थित है जिसके खातेदार चोलाराम वगैरा थे । उपरोक्त भूमि का बेचान दिनांक 11.04.1997 को सभी खातेदारान ने वर्तमान अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित कर उसका पंजीयन करवाया इतना लम्बा समय निकलने के पश्चात विक्रेता चोलाराम पुत्र बगताराम एवं करनाराम पुत्र चोलाराम का स्वर्गवास हो गया जिनके विरासत के नामान्तरकरण संख्या 83 दिनांक 05.03.2001 को व नामान्तरकरण संख्या 403 दिनांक 08.11.2021 को स्वीकार किये गये जिनके विरूद्ध उपरोक्त दोनो अपीले पेश की गई । अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये थे लेकिन रेस्पोडेन्ट की तरफ से बावजुद तामील कोई उपस्थित नही हुए ।

अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई इस प्रार्थना पत्र का कोई जबाब रेस्पोडेन्ट की ओर से पेश नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 05 एवं शपथ पत्र में वर्णित कारणो के आधार पर अपील अन्दर मियाद शुमार की गई । अपील के साथ अपील पेश

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया । चूंकि अपीलार्थी इस मामले में एक सदभाविक केता है एवं उसके पक्ष में पंजीकृत विकय विलेख दिनांक 11.04.1997 का निष्पादित किया हुआ है इन परिस्थितियो में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अधिवक्ता अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि जब मूल खातेदारान द्वारा पंजीकृत विकय विलेख के जरिये भूमि के खातेदारी अधिकारों का हस्तान्तरण दिनांक 11.04.1997 को कर दिया गया था तो उसके पश्चात विकेतागणों के पास उस भूमि में कोई अधिकार बचे ही नहीं जो विरासत में विकेतागणों के उत्तराधिकारियों को प्राप्त होते हो इस कारण जो नामान्तरकरण संख्या 83 व 403 स्वीकृत किये गये है वे निराधार है एवं अपीलार्थी के अधिकारो के विरूद्ध शुन्य है । अधिवक्ता अपीलार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल की नजीर 1979 आरआरडी पेज 01 लार्जर बैंच पेश की एवं अपील स्वीकार कर माफिक बेचान दिनांक 11.04.1997 के अपीलार्थी केता के नाम से नामान्तरकरण स्वीकार करने की प्रार्थना की है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया पत्रावली पर बेचाननामा दिनांक 11.04.1997 की जो नकल उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि के खातेदार 1. चोलाराम पुत्र बगताराम, 2. बक्साराम पुत्र कानाराम, 3. सोनीदेवी पत्नी कानाराम, 4. ओमाराम पुत्र कानाराम, 5. मदनलाल पुत्र चोलाराम व 6. करनाराम पुत्र चोलाराम द्वारा खसरा नं0 436 गांव जाखड़ो की ढाणी रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा का हस्तान्तरण जरिये पंजीकृत विकय विलेख के अपीलार्थी महावीर कोठारी के पक्ष में किया गया है । पंजीकृत विकय विलेख के निष्पादन की तिथि से विकेता के अधिकार समाप्त हो जाते हे एवं केता को अधिकार अर्जित हो जाते हे जैसा की माननीय राजस्व मण्डल की उपरोक्त नजीर में प्रतिपादित किया गया है एवं उस नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को जरिये बेचाननामा दिनांक

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

11.04.1997 के उपरोक्त भूमि में खातेदारी अधिकार अर्जित हो चुके है एवं इस विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण क्रेता के पक्ष में स्वीकार किया जाना चाहिये एवं उपरोक्त दोनो नामान्तरकरण संख्या 83 व 403 गलत स्वीकार किये गये है क्योकि विक्रेता करनाराम व चोलाराम अपने जीवनकाल में भूमि का हस्तान्तरण अपीलार्थी को कर चुके थे तो उनकी मृत्यू के समय उनके पास विरासत योग्य कोई अधिकार नहीं थे । इन परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है ।

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले स्वीकार की जाती हैं एवं नामान्तरकरण संख्या 83 दिनांक 05.03.2001 एवं नामान्तरकरण संख्या 403 दिनांक 08.11.2021 निरस्त किये जाते हैं माफिक बेचाननामा दिनांक 11.04.1997 के बेचाननामे में वर्णित भूमि खसरा नं0 436 रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा गांव जाखड़ो की ढाणी तहसील जोधपुर का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम से स्वीकार करने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार जोधपुर तदअनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु आवश्यक कार्यवाही करे ।

(पंकज कुमार)RAS
उपखण्ड अधिकारी (उत्तर)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 1/2/24. को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार)RAS
उपखण्ड अधिकारी (उत्तर)
जोधपुर